


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
क्रमांक: प.10(क)(ग्राम पंचायत)(गठन)(-) श्रेणी/स्वा0शा0वि/16/1444

दिनांक: 11/5/18

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को एतद्वारा नगर पालिका खाटूश्यामजी (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में घोषित किया जाता है तथा ऐसी घोषणा किये जाने की तारीख से सरपंच व उप-सरपंच को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को सदस्य नगर पालिका खाटूश्यामजी के रूप में घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.10(क)(-) (2180)/स्वा0शा0वि/16/1445-1495 दिनांक: 11/5/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज विभाग, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान, जयपुर।
11. जिला कलक्टर, सीकर।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज., जयपुर को भेजकर लेख है कि राज. राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कराया जाकर विभाग को 50 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान, जयपुर।
16. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी जिला सीकर।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाईड, निदेशालय को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी